

Received by hand on
08/08/17 91 01:10 PM

सेवा में,

दिनांक : 08.08.2017

माननीय जन सूचना अधिकारी,
पुलिस मुख्यालय, एम०एस०ओ० बिल्डिंग,
आई०पी० स्टेट, नई दिल्ली 110002

9630
उपरोक्त संख्या.....
08/08/17

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन।

मान्यवर,

लियेदन है कि आवेदक निम्नलिखित सूचना की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जो इस प्रकार है :-

(क) जिन पुलिस कर्मियों/अधिकारियों को आपराधिक अभियोग के आरोप में विभागीय जांच के उपरान्त, विभाग द्वारा सेवा से बर्खास्त किया जा चुका था और ऐसे पुलिस कर्मियों/अधिकारियों जिन्हें आपराधिक अभियोग के आरोप में विभाग द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गये थे, अदालत द्वारा बरी किये जा चुके हैं, के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना दी जाए:-

1. यह है कि ऐसे सभी दोषमुक्त पुलिस कर्मियों/अधिकारियों जिन्होंने उनकी बर्खास्तगी की तारीख से reinstate किया गया है, पद, नाम, पी०आई०एस० न०., तैनाती, बर्खास्तगी की तारीख, reinstate की तारीख, आपराधिक अभियोग की प्रकृति सहित पिछले दस वर्ष की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जाए।
2. यह है कि ऐसे दोषमुक्त पुलिस कर्मियों/अधिकारियों, जिन्होंने उनकी बर्खास्तगी की तारीख से reinstate नहीं किया गया है, पद, नाम, पी०आई०एस० न०., तैनाती, बर्खास्तगी की तारीख, reinstate की तारीख, आपराधिक अभियोग की प्रकृति एवं बर्खास्तगी की तारीख से reinstate न किये जाने का कारण व इसके सम्बन्ध में नियम/अधिनियम सहित पिछले दस वर्ष की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जाए।
3. यह है कि ऐसे दोषमुक्त पुलिस कर्मियों/अधिकारियों जिन्होंने उनकी बर्खास्तगी की तारीख से reinstate नहीं किया गया है लेकिन पुनः सेवा में ले लिया गया है। पद, नाम, पी०आई०एस० न०., तैनाती, बर्खास्तगी की तारीख, पुनः सेवा में लेने की तारीख, आपराधिक अभियोग की प्रकृति एवं बर्खास्तगी की तारीख से reinstate न किये जाने तथा पुनः सेवा में लिए जाने का कारण व इसके सम्बन्ध में नियम/अधिनियम सहित पिछले दस वर्ष की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जाए।

(ख) यह है कि जिन पुलिस कर्मियों/अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अभियोग अदालत में विचाराधीन है और ऐसे पुलिस कर्मियों/अधिकारियों विभाग में सेवारत हैं। पद, नाम, पी०आई०एस० न०., तैनाती, आपराधिक अभियोग की तारीख एवं धारा/प्रकृति तथा सेवारत रहने का कारण व इसके सम्बन्ध में नियम/अधिनियम सहित पिछले दस वर्ष की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जाए।

(ग) यह है कि विभाग में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत चिकित्सा बिलों का सत्यापन/ऑन चिकित्सक द्वारा कराया जाता है, जिसमें पुलिस कर्मियों ने उपचार कराया था। यदि इस सम्बन्ध में विभाग अथवा CGHS विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन/आई० जारी किया है तो पिछले दस वर्ष की तक की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जायें।

(घ) यह है कि विभाग में अधिनियम कार्यरत पुलिस कर्मियों द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत चिकित्सा बिलों का सत्यापन/ऑन विभाग द्वारा कराया जाता है, जिसमें पुलिस कर्मियों ने उपचार कराया था। यदि इस सम्बन्ध में विभाग अथवा CGHS विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन/आई० जारी किया है, तो पिछले दस वर्ष की तक की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जायें।

(निरन्तर अखिल पृष्ठ पर)